

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक: प.1(1)वित्त/राजस्व/2020

जयपुर, दिनांक-30.07.2026

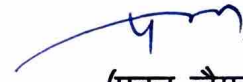
आदेश

राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन से संबंधित दिनांक 10.07.2026 को जारी आदेशों के क्रम में यह संज्ञान में आया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा आदेशों की पालना में आदिनांक तक नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है। अधिकारियों द्वारा सक्षम स्तर से जारी आज्ञा की पालना नहीं किया जाना राज्यादेशों की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है जो कि अत्यन्त गंभीर है।

अतः नवीन पद पर कार्यग्रहण न करने वाले समस्त स्थानान्तरित अधिकारियों को एतद्वारा उनके वर्तमान पद से कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की अविलम्ब अनुपालना करते हुये दिनांक 31.07.2026 पूर्वाह्न तक बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग किए नवपदस्थापन पद पर कार्यग्रहण कर, कार्यग्रहण प्रतिवेदन जरिये ई-मेल jsfrevenue@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करें।

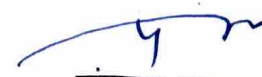
इसे अत्यावश्यक समझते हुये राज्यादेशों की पालना सुनिश्चित की जाए अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


30.7.26
(पवन जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया उपमुख्यमंत्री, वित्त महोदया।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
3. उप सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
4. समस्त स्थानान्तरित अधिकारियों (प्रतिनियुक्त सहित) के नियंत्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान पद पर न रोकते हुए उक्त कार्यमुक्ति आदेश की पालना में अविलम्ब नवीन पद पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। स्थानान्तरित अधिकारियों का माह जुलाई, 2026 के उपरान्त का वेतन इस विभाग की अनुमति बिना आहरित न किया जाए।
5. समस्त कोषाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनका आगामी माह का वेतन आहरित नहीं किया जाए।
6. संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब पालनार्थ।
7. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।


30.7.26
संयुक्त शासन सचिव